-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **"ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अवैध गांजे की खेती करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 166.65 किलोग्राम अवैध हरा गांजा किया गया बरामद। अभियुक्तों द्वारा अपने घर के हाते में की जा रही थी अवैध गांजे की खेती।**

विवरण- **विवरणः** -मान0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही हेतु जारी किये गये आदेशो एवं निर्देशो के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर के मार्गदर्शन व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से **"ऑपरेशन ईगल"** चलाया जा रहा है जिसमें अब तक कई बड़ी कार्यवाही की गई है। इसी क्रम में दिनांक 16/17.01.2025 की रात्रि को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अवैध गांजे की खेती करने वाले 02 अभियुक्तों को थाना अतर्रा क्षेत्र के ग्राम खम्हौरा से उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना अतर्रा पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम खम्हौरा में कुछ लोगों द्वारा अपने घरों के अन्दर हाते में अवैध गांजे की खेती की जा रही है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा ग्राम खम्हौरा में रणधीर सिंह व नग्गू ठाकुर के घर मौके पर छापेमारी कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जबकि एक अभियुक्त कल्लू सिंह पुत्र रणधीर सिंह मौका पाकर फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। पुलिस द्वारा मौके से रणधीर सिंह के घर से 72 किलोग्राम अवैध हरा गांजा तथा नग्गू ठाकुर के घर से 94 किलो 650 ग्राम अवैध हरा गांजा बरामद किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना अतर्रा में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा पुलिस टीम की सराहना करते हुए 25 हजार रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

बरामदगी-

- 166 किलो 650 ग्राम अवैध हरा गांजा
- 01 मोटरसाइकिल बुलेट

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रणधीर सिंह पुत्र बुआ सिंह निवासी खम्हौरा थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. नग्गू ठाकुर पुत्र प्रेम सिंह निवासी खम्हौरा थाना अतर्रा जनपद बांदा।

फरार/वांछित अभियुक्त-

1. कल्लू सिंह पुत्र रणधीर सिंह निवासी खम्हौरा थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 25/25 धारा 8/20(a) एनडीपीएस एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष अतर्रा श्री कुलदीप कुमार तिवारी
2. उ0नि0 श्री बालमुकुन्द शुक्ला
3. उ0नि0 दीपक कुमार सैनी
4. उ0नि0 श्री काशीनाथ
5. उ0नि0 श्री सोनू त्यागी
6. कां0 शुभम सिंह
7. म0कां0 पूजा रावत